उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

संख्या- 2/2020/347/43-2-2020-15/2(2)/2014

लखनऊ :: दिनांक 03 नवम्बर, 2020

<u>विज्ञप्ति</u>

विषय:- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गये कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया है। यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनाधिक सूचना आयुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वर्तमान संरचना www.upic.gov.in पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तें, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 व सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के अध्याय-IV में उल्लिखित हैं। सूचना आयुक्त की शक्तियां और कृत्य सूचना का अधिनियम, 2005 के अध्याय-5 में वर्णित है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

3- इसके अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, **03** वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा। यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा। यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गयी किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

5- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप-1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट न०-6 के सामने) को दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक दस्ती पहुँचाकर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को सायं 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को सायं 05.00 बजे तक भिजवायें। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को इस आशय का स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर रहे हैं, वह सत्य है।

7- आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा रु० 2000/- (रुपये दो हज़ार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो "प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ" के पक्ष में देय होगा|

8- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्या-13/2019/206/43-2-2019-15/2(2)/2014, दिनांक 18 नवम्बर,2019 के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भी पुनः आवेदन किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क नहीं दिया जाना है क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में ही आवेदन शुल्क दिया जा चुका है।

9- प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी | तत्पश्चात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 की धारा-15(3) के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफ़ारिश पर महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा की जायेगी|

10- यह विज्ञप्ति वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट http://adminreform.upsdc.gov.in के अंतर्गत देखी जा सकती है |

संलग्नक- प्रारूप-1/प्रारूप-2|

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग|

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily/www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर विचारार्थ विवरण

नवीनतम पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो

1- नाम
2- पिता का नाम
3- जन्मतिथि
4- वर्तमान पता
5- संपर्क विवरण
(क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित)
(ख) मोबाइल
6- ई-मेल पता
7- शैक्षिक अर्हताएं
8- विशेषज्ञता क्षेत्र (विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रस्तर-2 के अनुसार)

विशेषज्ञता क्षेत्र	
विधि	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
समाज सेवा	
प्रबन्धन	
पत्रकारिता	
जनसम्पर्क माध्यम	
प्रशासन और शासन	

9- वर्तमान व्यवसाय/ नौकरी
10- उपलब्धियां/ कार्य अनुभव (संलग्नक के अनुसार)
11- आवदेन शुल्क का विवरण
(क) बैंक ड्राफ्ट की संख्या
(ख) जारी होने का दिनांक

घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं| यदि कोई दी गयी सूचना सही नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए|

दिनांक हस्ताक्षर
स्थान नाम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-2

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती................उम्र........वर्ष............ व्यवसाय....................निवासी.........................प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है| मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है |मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भाति अवगत हूँ | यदि आवेदन पत्र में दिए गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं, तो मैं भा०द०वि०, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी|

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधाएँ तत्काल वापस ले लीं जाएँ|

स्थान आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर......................

दिनांक आवेदक/आवेदिका का नाम.........................

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-1 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों की उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

क्र०सं०	धारित पद	संगठन का नाम	समयावधि		उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			कब से	कब तक	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

हस्ताक्षर....................................

आवेदक का नाम.........................

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in